Election in J & K

*16. SHRI YASHWANT SINHA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to hold Election in J&K;

(b) if so, by when; and

(c) what is Government's stand in this regard?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): (a) to (c) Government is not in favour of indefinite continuation of President's Rule in Jammu and Kashmir and is keen to hold elections as soon as favourable conditions for a fair and free election are created. No definite time-frame can, however, be set for elections at this stage.

Cell for Unauthorised Constructions in Delhi

*17. SHRI ANANT RAM JAISWAL:
SHRI DIGVIJAY SINGH:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an unauthorised construction cell was established under the Crime Branch of Delhi Police about two years ago;

(b) whether the above cell has been provided with adequate resources to collect proper information and to take proper action against unauthorised constructions in Delhi; and

(c) if not whether Government propose to provide adequate resources to the cell?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): (a) to (c) An "Anti Land Grabbing Cell' was created under to Crime Branch of Delhi Police in November, 1989, from the existing strength of Delhi Police. The Cell at present comprises 1 Inspector, 4 Sub-Inspectors, 1 Head Constable and 4 Constables. The Cell has detected/investigated 67 cases of cheating by the colonisers/builders up to 30th June, 1992.

स्वास्थ्य पर खर्च

*18. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री कैलाश नारायण सारंग :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 मई, 1992 के "दि स्टेटसमैन" में "इंडिया स्पैन्डिंग टू लिटिल अपन हैल्थ" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने भारत में शुरू किये गये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के बारे में अपने अध्ययन प्रतिवेदन में देश की स्वास्थ्य संबधी न्यूनतम आवश्यकताओं का भी उल्लेख किया है;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त आवश्यकताओं की तुलना में इस समय स्वास्थ्य संबधी सुविधाए किस हद तक उपलब्ध हैं; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए क्या योजना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (घ) विश्व बैंक की इंडिया-पावर्टी एम्प्लायमेंट एण्ड सोशल सर्विसेज नामक 1989 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय कम है। तथापि, रिपोर्ट में भारत के लिए किसी न्यूनतम स्वास्थ्य आवश्यकता के बारे में नहीं बतलाया गया है।

जहां तक आठवीं योजना के दौरान संसाधनों के आबंटन का संबंध है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कुल योजना परिव्यय का 3.24 प्रतिशत आबंटित किया गया है। संसाधनों की कमी के बावजूद सरकार जनसंख्या के सर्वाधिक जरूरतमन्द

वर्गों को स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने पर बल देती है।

स्वास्थ्य मूलत: राज्य का विषय है लेकिन सभी ऐसे विवेचित क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान करके मदद करता है जो स्वास्थ्य सेवाओं और रोग नियंत्रण को प्रभावित करते हैं। आठवीं योजना में विकास के लिए चुने गए प्रमुख क्षेत्रों में अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित बुनियादी ढांचे का समेकन करना, लोगों को पीड़ित करने वाले प्रमुख संचारी, और गैर-संचारी रोगों का नियंत्रण/उन्मूलन करना स्वास्थ्य जनशक्ति विकास/ जैव-चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहन और भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी का विस्तार करना शामिल है। जनसंख्या वृद्धि में रोक के साथ साथ शिशु रक्षा तथा सुरक्षित मातृत्व कार्य पर विशेष बल देना ऐसे दोहरे परस्पर जुड़े कार्य हैं जिन पर स्वास्थ्य कार्यनीति की पहलें आधारित हैं।

दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों की पेंशन

*19. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की भांति दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को पेंशन देने का विचार रखती है

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अमरीश टाइटलर): (क) से (ग) दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू नियमों के अनुसार, पेंशन देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अस्पतालों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभभोगियों के लिए सुविधाएं

*20. **मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभभोगियों को दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं ;

(ख) इन सुविधाओं को बढ़ाने और उनमें सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) दिल्ली में के० स० स्वा० यो० के कौन कौन से प्रमुख औषधालय हैं जहां विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य के लाभार्थियों को अस्पताली उपचार सामान्यतया सफदरजंग अस्पताल और डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल में प्रदान किया जाता है। यहां पर सभी प्रमुख विशेषताओं में निदान और उपचार की पूरी-पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। दिल्ली में सेंट स्टीफन्स अस्पताल को निर्धारित दरों के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के उपचार के लिए मान्यता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त दिल्ली प्रशासन के कुछ तथा कई अस्पतालों स्वायत्त और प्राइवेट अस्पतालों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए रेफरल